विशेष वाहक/रजिस्टर्ड/फैक्स/ई–मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याः12/ए–374–78 दिनांकःफरवरी 28, 2015

सेवा में

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषयः पुलिस विभाग के सेवारत अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों व पुलिस कस्टडी में जाने वाले व्यक्तियों को सरकारी यात्रा हेतु रेल किराये के स्थान पर यात्रा वारण्ट की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या:148/छः–पु0–9–15–31(93)/2003 टी0सी0 दिनांक 06.02.2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस विभाग के सेवारत अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों व पुलिस कस्टडी में जाने वाले व्यक्तियों को सरकारी यात्रा हेतु रेल किराये के स्थान पर यात्रा वारण्ट की सुविधा प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2– अतएव शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.02.2015 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कार्यालय ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार पुलिस मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है तथा आपके स्तर से अपेक्षित कार्यवाही तत्काल कराने का कष्ट करें, ताकि शासन द्वारा प्रदान की गयी सुविधा का लाभ पुलिस विभाग के सेवारत अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों व पुलिस कस्टडी में जाने वाले व्यक्तियों को अप्रैल, 2015 से प्रदान किया जा सके।

(गंगानाथ त्रिपाठी)
पुलिस अधीक्षक, भवन/कल्याण,
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, रफी अहमद किदवई मार्ग, नई दिल्ली।
3– प्रमुख सचिव, गृह(पुलिस),अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4– मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/खान एवं या.से. मुख्यालय वाणिज्य विभाग, चम्बल परिसर ई–ब्लाक, सूबेदारगंज, इलाहाबाद।

FAX
Sir, ADG PHQ
for kind perusal pl.
(Arvind) Addl. SP Camp LKO.

उत्तर प्रदेश शासन
गृह(पुलिस)अनुभाग–9
संख्या–148 / छः–पु0–9–15–31(93) / 2003टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 06 फरवरी, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

487

उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों द्वारा मुल्जिमों को एक जनपद से दूसरे जनपद में रेल/बस से ले जाने/वापस लाने पर उन्हें अपने पास से किराया देना पड़ता है। अधिकांश पुलिस कर्मियों द्वारा उक्त समस्या से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया है कि यदि उन्हें विभाग द्वारा इन शासकीय यात्राओं के लिए रेलवे वारण्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय तो इससे [illegible] उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त स्थिति से अवगत कराते हुये पुलिस विभाग के सेवारत अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों व पुलिस कस्टडी में जाने वाले व्यक्तियों को सरकारी यात्रा हेतु रेल किराया देने के स्थान पर "यात्रा वारण्ट" की सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद 9/2/015

2. उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा पुलिस विभाग के सेवारत अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों व पुलिस कस्टडी में जाने वाले व्यक्तियों को सरकारी यात्रा हेतु रेल किराया देने के स्थान पर "यात्रा वारण्ट" की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया और तदनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये:—

325

XIII/A/XX

(1) भारतीय रेल मैनुअल के पैरा–420–432 एवं पैरा–453 के अनुसार यात्रा वारण्ट जारी करने/भुगतान की [illegible] जायेगी।

[illegible] के दृष्टिगत राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद द्वारा रेलवे वारण्ट फार्म नम्बर्ड सीरीज में छापे जायेंगे।

(3) रेलवे वारण्ट में जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष यथास्थिति पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक आदि का स्पष्ट पदनाम अंकित किया जायेगा और इन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा वारण्ट जारी किया जायेगा। इस कार्य हेतु संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को अधिकृत कर सकते हैं। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष वारण्ट के सही रूप से जारी होने/लेखों के रख–रखाव एवं मिलान के लिये उत्तरदायी होंगे।

अपर पुलिस अधीक्षक कल्याण
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद 10-2-15

(4) रेलवे स्टेशन पर रेलवे वारण्ट लेकर जो पुलिस कर्मचारी जायेगा, वह रेल विभाग के कर्मचारी से ही सम्पर्क करके आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(5) यह व्यवस्था पुलिस विभाग में सेवारत सभी अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों व पुलिस कस्टडी में जाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू होगी। यह सुविधा केवल शासकीय कार्य हेतु अनुमन्य होगी।

(6) संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ प्रदेश के सभी कार्यालयाध्यक्षों द्वारा जारी समस्त वारण्ट लेखों का संकलन कर नियमित अन्तराल पर महालेखाकार एवं रेल विभाग से मिलान किया

जायेगा एवं मिलान की संस्तुष्टि के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को अधिकृत कर सकते है। रेल विभाग को होने वाले भुगतान में किसी प्रकार की त्रुटि न हो सके इसके लिये विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होगें।

(7) संबंधित कार्मिकों के यात्रा भत्ता बिल में रेल से की गयी यात्राओं के बारे में यह स्पष्ट प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि उक्त यात्रायें वारण्ट से की गयी हैं एवं वारण्ट का नम्बर भी इंगित किया जायेगा। शेष यात्रा भत्ता की देयतायें यात्रा भत्ता के सामान्य नियमों के अनुसार अनुमन्य होगी।

(8) उक्त के अतिरिक्त रेलवे वारण्ट से संबंधित कार्यो के निष्पादन हेतु उ0प्र0 पुलिस, मुख्यालय, इलाहाबाद में अलग से एक सेल गठित किया जायेगा। उक्त सेल द्वारा रेलवे वारण्ट के कार्यान्वयन से संबंधित रेलवे वारण्ट/लेखों का संकलन, रख–रखाव एवं मिलान/भुगतान आदि अन्तिम कार्यवाही की जायेगी।

3– रेल विभाग को प्रश्नगत बिलों का भुगतान पुलिस विभाग के सुसंगत मद एवं [illegible] द्वारा किया जायेगा।

देवाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।

संख्याः एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
(2) सचिव,रेलवे बोर्ड,रेल भवन, रफी अहमद किदवई मार्ग, नई दिल्ली को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गये उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त संबंधित को अपने स्तर से आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।
(3) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया इस संबंध में अपने स्तर से समस्त संबंधित को आदेश निर्गत कराने का कष्ट करें।
(4) प्रमुख सचिव,वित्त(सामान्य)अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन।
(5) प्रमुख सचिव,वित्त(व्यय–नियन्त्रंण)अनुभाग–12,उ0प्र0 शासन।
(6) प्रमुख सचिव,गृह(पुलिस)अनुभाग–7,उ0प्र0 शासन को [illegible] द्वारा किया जायेगा।
(7) संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, उ0प्र0(द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0)।
(8) संबंधित महाप्रबन्धक,रेल/मण्डल रेल प्रबन्धक,रेल/मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक,रेल(द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0)।
(9) समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 (द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0)।
(10) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0(द्वारा पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0)।
(11) निदेशक, एन0आई0सी0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे गृह विभाग की वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।
(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अतुल कुमार)
उप सचिव।